

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

बाहु गिरी बनाम गज भूनापंत गगनमपुर (नौरा)

किरम मुकदमा प्र.पत्र 111.128 नं० 256 सन 2022

नांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील न जारी हुए
22	<p>वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 24-1-23 को पेश हो ।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p> <p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी शां के सम्मन वाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शां प० किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार खक खक कर आवाजे दिलाये जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय किये लिये जाकर शामिल पत्रावली पत्रावली किया गया। पत्रावली केसल शुमार होउ नम्बर से कम है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भोलवाड़ा</p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

ख्या- 256/22 प्राथम

शुभु गिरी श. श्री सुश्वी गिरी निवासी- गंगवानपुरा तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

श्री पंचायत गंगवानपुरा पंचायत समिति-माण्डल जिले के अधिकारी
/ ग्राम पंचायत सरपंच गंगवानपुरा तहसील-माण्डल
क्या उच्च प्रा. वि. गंगवानपुरा बेलगंगा जिले परमानाहकतस्मात्
गंगवानपुरा तहसील-माण्डल
प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार सा. गंगवानपुरा तहसील-माण्डल

--विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक - 24-01-23

::आदेश::

र से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन
ग्राम गंगवानपुरा पटवार हल्का गंगवानपुरा तहसील माण्डल में उसके
खाते की आराजी नं. 2991 कुल कित्ता 01 रकबा 0-3162
न हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये
संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की
आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14-12-22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का
वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते
की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गंगवानपुरा पटवार
गंगवानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2991
01 रकबा 0-3162 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी
हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख
गंगवानपुरा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने
की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार
गढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा